उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग2-

संख्या-207/ग्यारह-2-24-9(42)/17-टी.सी.69-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(315)-2024

लखनऊ;दिनांकः 27 फरवरी, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम) 2017 ,उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन् 1 164 की धारा (2017द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ,परिषद् की सिफारिशों पर , एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली 2017 ,का अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरसठवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरसठवां संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह तारीख 26 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी ।
नियम 28 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 28 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "(2) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,किसी पूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता, जो एक सम्बंधित व्यक्ति है, को उक्त प्राप्तिकर्ता की ओर से किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था को कारपोरेट गारंटी प्रदान करके की गई सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, ऐसी प्रस्तावित गारंटी या वास्तविक प्रतिफल, इनमें से जो भी अधिक हो, की रकम का एक प्रतिशत होना समझा जाएगा ।"।
नियम 142 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम 142 में, उपनियम (3) में शब्द "**प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05** में आदेश" के स्थान पर शब्द "**प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05** में सूचना" रख दिये जाएंगे ।
नियम 159 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, नियम 159 में, उपनियम (2) में, शब्द "जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर" के पश्चात् शब्द "या उपनियम (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो" बढ़ा दिये जाएंगे ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** में, भाग-ख में, क्रम संख्यां 2 में, खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "(xivक) एक व्यक्ति कंपनी"
प्ररूप जीएसटी आरईजी-08 का संशोधन	6.	उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-08** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्:- **प्ररूप जीएसटी आरईजी-08** [नियम 12(3) देखें] संदर्भ संख्या तारीख: सेवा में, नाम: पता: आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) तारीख: **स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश** यह,अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए निम्नलिखित कारणों से पत्र/मेल तारीख.....द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में है, अर्थात्: - i. ii. अधोहस्ताक्षरी की राय है कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख<<दिन/माह/वर्ष>>है। 2. आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी। 3. कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज़ देखें। 4. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पूर्व या पश्चात् में अवधारित किए गए हों। **या**

		स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश यह तारीख ..... को जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ है। • चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, और चूँकि इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण(कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है; या • चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तारीख_____ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और चूँकि कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण(कारणों) से रद्द किये जाने के लिए दायी है:- या • चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर आप व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए थे, और चूँकि इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है: या • चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित हुए और लिखित या मौखिक निवेदन किया, और चूँकि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए आपके लिखित या मौखिक निवेदन की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण(कारणों) से रद्द किये जाने के लिए दायी है: या • चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तारीख_____ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन, आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियत या विस्तारित तारीख पर व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित नहीं हुए थें, और चूँकि कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि

		आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण(कारणों) से रद्द किया जा सकता है: या • चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर तारीख_____ के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित हुए थे, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित/मौखिक निवेदन किया था, और चूँकि अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय किए गए निवेदन की परीक्षा की है और उसकी राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण(कारणों) से रद्द किये जाने के लिए दायी है: i. ii. रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख<<दिन/माह/वर्ष>>है। 2. कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज़ देखें। 3. आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी। 4. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पूर्व या पश्चात् में अवधारित किए गए हों। स्थान: तारीख: हस्ताक्षर अधिकारी का नाम पदनाम अधिकारिता";
प्ररूप जीएसटी आर-8 का संशोधन	7.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-8 में,-- (क) क्रम संख्यां 5 निकाल दिया जाएगा; (ख) क्रम संख्यां 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यां और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:- **"7. देय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस**

वर्णन	देय रकम	संदत्त रकम

1	2	3
(I) निम्नलिखित के संबंध में टीसीएस के लेखे पर ब्याज		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केंद्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(II) विलंब फीस		
(क) केंद्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

";

(ग) क्रम संख्यां 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यां और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:-

"9. टीसीएस, ब्याज और विलंब फीस संदाय के लिए नकद खाते में विकलन प्रविष्टियां [विवरण दाखिल करने के पश्चात् समष्टित]

वर्णन	कर	ब्याज	विलंब फीस
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			
(ख) केन्द्रीय कर			
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			

";

प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 का संशोधन	8.	उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01** में, भाग-ख में, क्रम संख्यां 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यां और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:-

4	चाहा गया नामांकन :	(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट (2) कंपनी सचिव (3) लागत एवं प्रबंधन लेखाकार (4) विधि में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (5) वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (6) उच्च संपरीक्षा सहित बैंकिंग में स्नातक या

		स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (7) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (8) बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (9) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा (10) सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी (11) विद्यमान विधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विक्रय कर व्यवसायी (12) विद्यमान विधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए करविवरणी तैयार करने वाला (13) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा **टिप्पण:** सारणी की क्रम संख्या (4) से (8) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से होने चाहिए ।
प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 का संशोधन	9.	उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22** में, अंतिम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "यह आदेश, आयुक्त द्वारा **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23** में आदेश जारी किए जाने की तारीख को या इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगा ।" ।

आज्ञा से,

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव